हमारा प्रयास - सबका आवास



श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, राजस्थान





श्री शान्ति कुमार धारीवाल मंत्री स्वायत् शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान

राजस्थान आवासन मण्डल

मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर

विशिष्ठ पंजीकरण योजना * वर्ष * 2021



हमारी खुशी का संसार हमारा अपना घर





राजस्थान आवासन मण्डल



मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना,बीकानेर (विशिष्ट पंजीकरण योजना – 2021)

केवल राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु मध्यम आय वर्ग – ब एवम् उच्च आय वर्ग के स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरियता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध

: 12.10.2021 से

2. ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने

. 11.11.2021 तक

की अंतिम तिथि

 योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान

अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने
 की अन्तिम तिथि

 वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान

 वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, 17/88 राजस्थान आवासन मण्डल, मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर मो. नं.: 9413355050 उप आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल,

सेक्टर – 4, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर

मो. नं. : 9413353071

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता – द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल,

17E-539/540

चौपासनी, जोधपुर

फोन : 0291-2717539 मो. नं. : 9983309407

विशेष :

1. रेरा पंजीकरण संख्या – RAJ/P/2020/.....dt.....

2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेंगे इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रू 354 / — में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड मार्फत जमा कराई जा सकती है या चालान प्रिंट कर निम्नलिखित बैंक में जमा कराया जा सकता है ।

Bank : HDFC Bank IFSC Code : HDFC0009247

A/c No.: 50100358195081 Branch: Samta Nagar, Bikaner

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दुः

यह सुनिश्चित कर लें कि :--

- 1. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है
 - i. आय का प्रमाण पत्र।
 - ii. पंजीकरण की पूर्ण राशि ऑनलाइन आवेदन करते समय फार्म के साथ जमा करानी होगी।
 - iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
 - iv. संबंधित वांछित प्रमाण पत्र।
 - v. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा— आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
 - vi. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है।

मण्डल कार्मिक हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष-2021 मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना,बीकानेर (पंजीकरण योजना-2021)

मध्यम आय वर्ग – ब के 08 एवं उच्च आय वर्ग के 04 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र की ब्रिक्री पत्र/प्राप्ति व वरियता निर्धारण का

योजना की प्रस्तावना :-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राजस्थान सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम — 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदन की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में जनसामान्य की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बीकानेर में मुक्ता प्रसाद नगर आवासीय योजना (विशिष्ट पंजीकरण योजना — 2021) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें मध्यम आय वर्ग 'ब' एवंम उच्च आय वर्ग के स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

बीकानेर आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 507 बीघा 01 बिस्वा है। इस आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग 'ब' के लगभग 8 एवं उच्च आय वर्ग के 4 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित है जिनका विवरण तालिका 1 के अनुसार है।

तालिका — 1 आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	प्लॉट साईज	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) अनुमानित	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	08	9.0 मी.×18.0 मी.	38.766	36.21 लाख रुपये
2.	उच्च आय वर्ग	04	11.25 मी.×21.0 मी.	53.528	57.38 लाख रुपये

नोट :

- (i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताऐं :-

यह आवासीय योजना मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में बाइ पास पर स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है:—

- 1. लालगढ़ रेलवें स्टेशन से मात्र 2 से 2.5 किमी।
- 2. बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से मात्र 2.5 से 3 किमी.
- 3. सब्जी मण्डी से मात्र 0.5 किमी.
- 4. रेहान इन्टरनेशनल स्कूल स्थित है।
- 5. मुख्य बाज़ार से मात्र 4.0 कि.मी।

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्ते :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:-

- 1. (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
 - (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड'' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
- इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे।
- 3. जो मण्डल कार्मिक/अधिकारी प्रथम बार मण्डल में आवास आवंटन बाबत आवंदन—पत्र प्रस्तुत कर रहे उन्हे प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी (जिन्हें मण्डल द्वारा अभी तक आवास आवंटन नहीं हुआ है) और साथ ही कार्मिक अधिकारियों को यह भी विकल्प प्रस्तुत करना है कि उन्हें प्रथम आवास के लिए वरियता/आवंटन किस शहर में किया जावें।
- 4. जिन मण्डल कार्मिक को शहर विषेश अर्थात बीकानेर में आवास आवंटन नहीं हुआ है परन्तु पूर्व में किसी अन्य शहर की योजना में आवास आवंटन किया जा चुका है उन्हें द्वितीय वरीयता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना में तालिका 1 में दर्शाये गये आवास हेतू आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि निम्नानुसार होगी।जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है।

तालिका **- 2**

क्र. सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	12 लाख से 18 लाख तक	80,000+12% अर्थात् कुल राशि 89,600/–	1,500+18% अर्थात् कुल राशि 1770	36.21 लाख रुपये
2.	उच्च आय वर्ग	18 लाख से ऊपर तक	1,20,000+12% अर्थात् कुल राशि 1,34,400/-	2,000+18% अर्थात् कुल राशि 2360	57.38 लाख रुपये

नोट — आवेदन शुल्क रू. 300/- + 18% GST कुल राशि 354/— कुल जमा योग्य राशि के साथ जमा करावें।

- 6. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार में मध्यम आय वर्ग 'ब' निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
- 7. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस समस्त आय वर्ग के आवेदक हेतु तालिका के आनुसार राशि देय होगी उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फिस का किसी भी आवेदक को पुनः भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।
- हस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी।लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज एवं बिना प्रोसेसिंग) आवेदन पत्र में अंकित बैक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
- 9. पंजीकरण नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धित दोनों में कराया जा सकता है। किराया क्रय पद्धित में 156 सममासिक किश्तों में भुगतान करना होगा। किश्तों की राशि पर जीएसटी प्रथक रूप से नियामानुसार देय होगा।
- 10. आवास आवंटन से पूर्व आवेदको को आपने आयवर्ग के अनुसार आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त पूर्वग्रहण राशिपत्र जारी होने के एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 4 माह के अन्दर तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आंवटन के समय जो भी पहले जाम करानी होगी।

तालिका - 3

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त रूपये में				
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	
1.	मध्यम आय वर्ग 'ब'	70,000 रूपये	70,000 रूपये	60,000 रूपये	2,00,000 रूपये	
2.	उच्च आय वर्ग	1,00,000 रूपये	1,00,000 रूपये	1,00,000 रूपये	3,00,000 क्तपये	

11. पूर्वग्रहण राशि पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जीएसटी की राशि अलग से देय होगी।

12. रिफण्ड

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) राजस्थान आवासन मण्डल की 243वीं बैठक दिनांक 21.9.2020 के विचार बिन्दु संख्या 243.43 के निर्णय अनुसार सफल आवेदक घोषित होने के पश्चात कब्जाराशि जमा कराने के पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आय वर्ग श्रेणी में अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक मय जीएसटी कटौति का निर्णय लिया गया है।

- 13. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अविध में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
- 14. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, एसे खर्चे निम्नप्रकार होंगे —
 - (क) लीज राशि यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - (ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राशि यह राशि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती यह राशि किरायाक्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित या लौटा दी जायेगी।
 - (ग) अन्य खर्चे :
- (1) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी। (2) अन्य विविध खर्चे जो कि मण्डल समय—समय पर निर्धारित करें।
- 15. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- 16. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे— आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

- 17. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- 18. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग / फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :--
 - विद्युत / फिटिंग / फिक्सचर
 - सेनेटरी फिटिंग
 - 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
- 19. आवासन मंडल अपनी योजनाओं / आवासों में परिवर्तन / परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 20. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- 21. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/ परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम/अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
- 22. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
- 23. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त, वृत-द्वितीय, जोधपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में

मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- 24. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक / आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापित प्रमाण पत्र / त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
- 25. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा— आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
- 26. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
- 27. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
- 28. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र / वचनबद्धता / अन्य आवेदन / अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

29. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसोसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुर्नर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि
 में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित
 प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- अावास आवंटन / कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- v योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद बीकानेर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- vi आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- vii लॉटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- आवेदन पत्र पुस्तिका (बुकलेट) का राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट viii www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर अवलोकन किया जा सकता है।
- ix योजना में एक व्यक्ति का स्वतन्त्र अथवा संयुक्त रूप से केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा।

GENERAL SPECIFICATION OF CONSTRUCTION

- 1 Brick Stone Masonry for Foundation/Plinth in CM-1:6
- 2 R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.
- 3. Brick Masonry in superstructure in cement sand mortar. (1:6)
- 4. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
- 5. Vitrified tiles Flooring/ Matt Finish Tiles flooring.
- 6. T-iron Door Frames/ Steel Section Window and ventilator.
- 7. Flush door shutters with steel fittings.
- 8. Inside Distemper and Outside Water Proofing cement paint.
- 9. White cement base putty over plaster surface.
- 10. Concealed PVC conduits with flexible copper wire MCBS.
- 11. Internal sanitary fittings with UPVC, CPVC pipes.

सभी आवेदकों के लिए

आवेदक का फोटो

शपथ पत्र


肖	पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री	आयु	वर्ष
एत्दद्वा	रा सशपथ घोषणा करता / करती हूँ कि:		
1. 単年	गरत का ∕ की नागरिक हूं।		
2. मुझे	। मण्डल द्वारा आज दिनांक तक मण्डल की किसी भी योजना में आवास आवंटित	नही हुआ है	1
	अथवा		
(i.)	मुझे मण्डल की योजना	में	आवा
	संख्या आवंटित हुआ		
(ii.)	मुझे मण्डल की योजना		आवास
	- संख्या आवंटित हुआ		
नई स्वर 4. यह कि	कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मां ों करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन तंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में या गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल य विष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन प	ा निरस्त कर कोई मिथ्या ग्रा कपट किर	रने के लिए कथन नहीं या गया है।
	थ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।	हस्ताक्षर श	
	<u>सत्यनिष्ठा</u>		
कि उप	मैंसत्यनिष्ठा से घोषण स्यनिष्ठा से घोषण रोक्त पेरा 1 से 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी ई भी तथ्य छिपाया नहीं है।	ा करता / क	रती हूँ
	शप	थ गृहिता	
is to		⁄ निशानी अं	गूठा
	पत्र 50 / — रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्ष णी दण्डनायक / कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)	र नोटेरी पबि	लक अथवा


वेतनभोगी आवेदकों के लिए

<u>आय प्रमाण–पत्र</u>						
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती						
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री (विभाग/ संस्थ						
का नाम)में						
पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/ राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/ राजस्थान सरकार के उपक्रम/ प्राईवेट सेक्टर						
के) नियमित कर्मचारी हैं।इनकी २०२०-२१ की सकल वार्षिक आय रुपयेथी।						
क्रमांक/दिनांक						
विभागाध्यक्ष						
विमागाव्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर						
क रुस्ताबर नय नारुर विभाग / उपक्रम / प्राईवेट सेक्टर का नाम						
ापनागं/ उपक्रमं/ प्राइपटसक्टर का गान						
<u>अनुस्चित जाति/ जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र</u>						
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती						
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी						
जिला संभागराज्यजातिजाति						
के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित						
जाति/जनजाति में है।						

हस्ताक्षर

तहसीलदार (कार्यालयकी मोहर सहित)





HIG

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु आवेदन क्रमांक

बैंक खाता संख्या : 50100358195081

IFSC: HDFC0009247



चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021 मुक्ता प्रसार नगर आवासीय योजना, बीकानेर (पंजीकरण योजना—2021) मध्यम आय वर्ग 'ब' के 08, उच्च आय वर्ग के 04, स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक / आवेदिका का नाम	
2. पत्र व्यवहार का पता	
3. सेक्टर / कॉलोंनी का नाम : मुक्ता प्रसार नगर, आवासीय योजना, बीव	कानेर
 योजना का नाम : मण्डल कार्मिको हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना - 2021 	
5. बैंक अकाउंट नं	
IFSC कोड	
दिनांक	
6. पंजीकरण राशि (अंको में)	
(शब्दों में)	
दिनांक :	
स्थान :	आवेदक के हस्ताक्षर

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

मण्डल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

मुक्ता प्रसार नगर आवासीय योजना, बीकानेर (पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'ब' के 08, उच्च आय वर्ग के 04, स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र आवेदक / आवेदिका का नवीनतम फोटो

मूल्य : 354 / -

आवेदन-पत्र

आव	दिन पत्र क्रमांक	
1	आवेदक /आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)	श्री / श्रीमती
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)	श्री
3	जन्म तिथि	g.
4	राष्ट्रीयता	¥
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधारकार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटो युक्त मान्य दस्तावेज
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार नम्बर)	
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)	वैतनिक
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	्रूरभाषनं मोबाईल नं ई–मेल पता
9	प्रथम वरियता / द्वितीय वरियता	
10	आवेदक / आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रू. (वित्तीय वर्ष 2020—21) पैन नम्बर, (लागू हो व (अ) स्वयं की	. में) तो)
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	9
11	यदि आवेदक पूर्व पंजीकरण प्रपत्रों की सत्या	पेत छाया प्रति संलग्न करे।
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांकः	
12	पंजीकरण राशि रू	वर्तमान आवंटित आय वर्ग

13	बैंक खाता सं.		दिनांकरु		
	आई.एफ.एस.सी. कोड				
14	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण प	त्र संलग्न करें।		
	जी–1 : वैतनिक श्रेणी	,,,,	जी-2 : अवैतनिक श्रेणी		
8	वैतिनिक श्रेणी—प्रथम(G-1-I) (केन्द्रसरकार के	कर्मचारी तथा			
	केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड / निगम के व	कर्मचारी / प्राईवेट	अवैतनिक श्रेणी—द्वितीय (G-2-II)—प्रोफेशनल		
	सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)		(केवल प्राफेशनल एडवोकेट. चार्टर्ड		
	वैतनिक श्रेणी—द्वितीय(G-1-II)(राज्य सरकार	के कर्मचारी /			
	अधिकारी)		, we say think to distally		
	जी-3: राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक(बोर्डव	कर्मचारी)	जी–4 : अनुसूचित जाति		
	जी–5 : अनुसूचित जनजाति	,	जी–6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व		
			विधायक / सांसद / अधिरवीकृत पत्रकार		
	जी–7 : स्वतंत्रता सैनानी		जी-8 : भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की		
			विधवाएं		
	जी—9 : दिव्यांग(अंघता / शारीरिक / मूकबधिर)		जी–10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं		
	*	, , ,	ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी		
15	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में 3	असफल होने की	दशा में बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि		
	सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु	निम्नाकित सूचन	।। आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही		
	आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किय	ा हुआ चेक आन	लाईन सलग्न करेगे।:		
	आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)	खाता सङ	या (सम्पूर्ण)		
	खाते काप्रकार (बंचते / चालू / एन.आर.अ	गाङ्):	वक शाखा का पताः		
			मोबाइल नम्बर		
16	ऑनलाईन संलग्न किये जाने वाले प्रपन्न :				
10	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज				
	(ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विधि	भ्राष्ट्र गटनाच गर्न	ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਸ਼ਰਿ ਕੇ ਕੇ)		
	(स) पते का प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण	स्ट्रप्रसागम्ब म्यात्रा	मन्दर (वाद हा ता)		
	(द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिव	ਹ । ਹ ।			
	(य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (या				
	(र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट	14 4/19 (01)	,		
	(ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र				
	(व) स्वयं अथवा पति-पत्नि अथवा आश्रितों के	नाम कोई भमि	/ भवन न होने संबंधी शपथ पत्र ।		
	(अ) अन्य वाछित प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।		7 177 271 (144)		
17	घोषणा :				
	1. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ वि	के उपरोक्त सुच	ना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कछ		
	भी छुपाया नहीं गया है।		3		
	2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ ि	के मैने इस आवे	दन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के		
	अनुबंन्धों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उनका पालन किये जाने				
	क लिए सहमत हू।				
	3.मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कररहा हूँ में पूर्णतया				
	। अथवा भाग रूप में, फोहोल्ड या पट्टे के आधार पर भुखण्ड या आवास नहीं है।				
	4. मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट/स्ववित्तपोषित				
	पजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी / माप का				
	आवास आरक्षित / आवंटित नहीं है।				
	5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मै आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा				
	नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किर	ती सूचना के मेर	ा पंजीकरण 🖊 आवंटन निरस्त करने के		

	ोगा, जिसके लिए मै स्वयं				
6. मकान का	कब्जा प्राप्त किए जाने	के पश्चात् मकान	में होने वाली टूट	फूट इत्यादि हे	तु समस्त
जिम्मेदारी मेरी	ो होगी।				
7. मेरी मृत्यु	होने की दशा में, मै निम	नलिखित व्यक्तियों क	ो अधिमान क्रम में	नाम निर्देशित	करता /
करती हूं:-					
क्र.सं.	नाम	आयु		संबंध	
प्रथम		450			
द्वितीय					
तृतीय					
_					

आवेदक के हस्ताक्षर

(राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करें)

स्थान
दिनांक

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

मण्डल कार्मिकों हेत् विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021

मुक्ता प्रसार नगर आवासीय योजना, बीकानेर

(पंजीकरण योजना–2021)

मध्यम आय वर्ग 'ब' के 08, उच्च आय वर्ग के 04, स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए	
		Г У .	बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है?	हॉं / नहीं	हॉं / नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
4,	क्या आवेदक के पते के प्रमाण— स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हॉ / नहीं	हॉं / नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ / नहीं	हॉं / नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हॉं / नहीं	हॉं / नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ / नहीं	. हॉ / नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉं / नहीं	हॉ / नहीं
12.	क्या वाछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हॉ / नहीं	हाँ / नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

- 1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- 2. आवेदक का ग्रुप है -सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक 3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- 4. अन्य टिप्पणी

क.सहायक / सहायक

कार्यालय अधीक्षक स.आवासन अधिकारी / सम्पदा प्रबन्धक

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक सीधा पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के लिये आपनिर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।